नवभारत टाइम्स। नई दिल्ली/लखनऊ। गुरुवार, 5 नवंबर 2015

कॉशन मनी रोकी तो ₹5 लाख जुर्माना

एकेटीयू ने 700 कॉलेजों पर की सख्ती

■ एनबीटी,लखनऊ

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने छात्रों की कॉशन मनी रोकने पर कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को यूनिवर्सिटी ने कॉशन मनी को लेकर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कॉलेजों को निर्देश है कि कॉशन मनी रोकने पर कॉलेज पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। यह पैसा यूनिवर्सिटी वसूलेगी। हाल ही में लखनऊ समेत प्रदेश के कई कॉलेजों में कॉशन मनी हड़पने, देर से देने की शिकायतें सामने आई. जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने यह निर्देश जारी किया है।

15 दिनों के अंदर मांगा था ब्योरा

इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों में स्टूडेंट्स से कॉशन मनी के रूप में मोटी रकम जमा कराई जाती है। इसे बाद में वापस करने की बात कही जाती है। 26 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ने अपने सभी 700 कॉलेजों से कॉशन मनी का ब्योरा 15 दिनों में देने के लिए कहा था।

फाइनल ईयर की फीस में मर्ज होगी

यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को निर्देशित किया है कि स्टूडेंट्स की कॉशन मनी बाद में वापस करने के बजाए फाइनल ईयर की फीस में समायोजित कर दी जाए, जिससे बाद में छात्र को कॉलेज के चक्कर न काटने पड़ें। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स का कुछ बकाया कॉलेज पर बनता है, तो उसे फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले भुगतान कर दिया जाए।